

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर  
प्रबन्ध मण्डल की 159वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 08.10.2020

सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष

समय : पूर्वान्ह 11:00 बजे

उपस्थिति :-

1.	डा० डी०आर० सिंह, कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	सदस्य/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा
3.	श्री अजय जौहरी, अपर निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल	सदस्य/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त
4.	श्री रिपुदमन सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर	सदस्य/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा
5.	डा० पीयूष कुमार वर्मा, अपर कृषि निदेशक (दलहन एवं तिलहन), कानपुर	सदस्य/प्रतिनिधि निदेशक कृषि
6.	डा० अविनाश चन्द्र सचान सहायक निदेशक, नियोजन, कानपुर	सदस्य/प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन
7.	श्री नथुनी सिंह कुशवाहा	सदस्य
8.	श्री सत्य नारारण शुक्ला	सदस्य
9.	श्री श्याम मोहन दुबे,	सदस्य
10.	श्रीमती पूनम देवी	सदस्य
11.	डा० ए०डी० पाठक, निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ	सदस्य
12.	श्री राजेश सिंह, अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

मद सं०	1:	<p>प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 18.01.2020 को सम्पन्न हुयी प्रबन्ध मण्डल की 158वीं बैठक की कार्यवृत्त का अनुमोदन।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि की गयी।</p>
मद सं०	2:	<p>प्रबन्ध मण्डल की 158वीं बैठक दिनांक 18.01.2020 मे लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।</p> <p><b>154 वी बैठक मद सं०-6</b></p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्देश दिये कि कार्यदायी संस्था से उक्त आवसो को शीघ्र हस्तगत कराने की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जाय।</p> <p><b>155 वी बैठक अन्य निर्देश</b></p> <p><b>बिन्दु सं०-3</b></p> <p>प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्य एवं समिति के अध्यक्ष डा० ए०डी० पाठक के द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही वरिष्ठता सूची तैयार हो जायेगी। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया।</p> <p><b>156 वी बैठक अन्य निर्देश</b></p> <p><b>बिन्दु सं०-2</b></p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की कुल आय-व्यय तथा लाभ हानि की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये।</p> <p><b>बिन्दु सं०-5</b></p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लम्बित होने के कारण प्रकरण पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी है।</p> <p><b>158वीं बैठक</b></p> <p><b>मद सं०-5</b></p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही कर रिपोर्ट मा० प्रबन्ध मण्डल के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।</p> <p><b>मद सं०-6</b></p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया।</p>

L

		<p>158वीं बैठक मद सं0-9 प्रस्तर-1</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा शीघ्र कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।</p> <p>प्रस्तर-2</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल ने प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।</p> <p>प्रस्तर-3</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण पर शासनादेश के अनुसार रोस्टर प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश दिये।</p>
मद सं0	3 अ	<p>चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 14.9.2020 के कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद सं0	3 ब	<p>चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 14.9.2020 में दिये गये निर्देशानुसार मा0 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल निर्देश दिये गये कि प्रविधिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों की भॉति रू0 450/- प्रति व्याख्यान की दर से तथा अधिकतम रू0 30,000/- प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जाय।</p>
मद सं0	4	<p>डा0 अवधेश कुमार त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक (सस्य), सस्य विज्ञान विभाग का बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में सह-प्राध्यापक के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप उन्हे दिनांक 14.12.2017 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किया गया था। 02 वर्ष पूर्ण होने उपरान्त भी डा0 त्रिपाठी द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान न किये जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>
मद सं0	5	<p>डा0 श्याम सिंह, वैज्ञानिक (सस्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, हाथरस का बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में वरिष्ठ वैज्ञानिक-कम-अध्यक्ष के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त किये जाने के दिनांक 12.12.2017 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) स्वीकृत किया गया था। 02 वर्ष पूर्ण होने उपरान्त भी डा0 सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में योगदान न किये जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>

& . |



मद सं०	6	डा० महेन्द्र प्रसाद, वैज्ञानिक (पशुपालन), के०वी०के०, फर्रुखाबाद को दिनांक 22.05.2018 से 14.07.2020 तक अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
मद सं०	7	प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई लर्निंग रिसोर्सोज, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर के रिकॉर्डिंग के लिये सुसज्जित स्टूडियो इत्यादि अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से गठित उ० प्र० विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	8	डा० मुकेश श्रीवास्तव, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, का चयन कुलसचिव, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी पद पर पुनः 05 वर्ष के कार्यकाल हेतु हो जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार विस्तारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा सावधि पद (Tenure Post) की अवधि तक धारणाधिकार स्वीकृत किया। उक्त अवधि (Tenure Post) की समाप्ति के उपरान्त धारणाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
मद सं०	9	श्री राम विलास सेवानिवृत्त चौकीदार की चिकित्सीय आधार पर उपार्जित अवकाश एवं अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री राम विलास, सेवा निवृत्त चौकीदार के अवकाश से सम्बन्धित समस्त विवरण यथा चिकित्सा प्रमाण पत्र, अनुपस्थित अवधि में कहाँ रहे, अनुपस्थित अवधि में उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य/आचरण न किया गया हो जो कार्मिक आचरण नियमावली के विपरीत हो आदि विवरण के साथ प्रबन्ध मण्डल की आगमी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
मद सं०	10	विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग के अन्तर्गत बी० एस० सी० कृषि अष्टम सेमेस्टर के छात्रों हेतु <b>Experiential Learning/Short term Soil Testing Course (10credit)</b> के संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	11	कृषि विज्ञान केन्द्र पर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अर्न्तर्गत जिला कृषि मौसम इकाई (DAMU) योजना की स्थापना विषयक।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।




मद सं०	12	उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना <b>Evaluation and characterization of climate resilient genotype of Indian Mustard against abiotic stress (drought heat)</b> हेतु विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	13	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना <b>“Evaluation of linseed germplasm for major biotic stresses (Alternaria blight)</b> हेतु विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	14	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना <b>“Evaluation of linseed germplasm for major abiotic stresses (salt stresses)</b> हेतु विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	15	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना <b>“Wide hybridization and genetic enhancement”</b> हेतु विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	16	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना <b>“Phenotyping of entire linseed germplasm collection conserved at National gene bank for agromorphological trails”</b> हेतु विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं०	17	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना <b>“Design and Development of autonomous robot for crop monitoring and ocalized pest Neutralisation”</b> हेतु विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव।  मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।






मद सं०	18	<p>विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न योजनाओं (प्लान/नान-प्लान/तदर्थ योजनाएं/तदर्थ परीक्षण) में विभिन्न कृषि कार्यों को सम्पादित करवाने हेतु चिन्हित कार्यों एवं कृषि क्रियाओं में श्रमिकों की संख्या (यूनिट) के निर्धारण के नियमावली अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव।</p> <p>प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निदेशक कृषि के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस तरह के कार्य उनके विभाग द्वारा भी कराये जाते हैं। उक्त के क्रम में मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रस्तुत नियमावली की पुनः समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जाय। जिसमें कृषि विभाग के प्रतिनिधि (उप निदेशक कृषि/जिला कृषि अधिकारी) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय। कृषि विभाग से प्राप्त दरे व प्रक्रिया का संज्ञान लेते हुये समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।</p>
मद सं०	19	<p>विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न श्रेणी के आवासों का आवास किराया का पुर्ननिर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश दिये कि राजकीय आवासों से सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार आवास किराये का निर्धारण किया जाय।</p>
मद सं०	20	<p>कृषि जीव रसायन विभाग, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केवल शैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश शासन को भेजने हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद सं०	21	<p>विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा एवं प्रशुपालन महाविद्यालय, कानपुर प्रांगण के स्थापना के सम्बन्ध में।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धन्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा विस्तृत प्रस्ताव (Detail Project Report) शासन को भेजने के निर्देश दिये गये।</p>
मद सं०	22	<p>विश्वविद्यालय कार्यहित एवं उसमें गतिशीलता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, अर्थ नियंत्रक समस्त निदेशक, समस्त अधिष्ठाता, सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी एवं प्रमुख विभागों के प्रभारियों (एकेएमयू, सम्पत्ति अधिकारी, सुरक्षा आदि) को स्मार्ट फोन सीयूजी नम्बर के साथ (वाईस काल एवं इन्टरनेट डाटा के साथ) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा सी०यू०जी० सिम एवं प्लान आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</p>

E. L.

मद सं०	23	<p>विश्वविद्यालय के स्नातक एवं परास्नातक डिग्री प्राप्त करने हेतु आये विदेशी छात्रों तथा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक एवं परास्नातक स्तर के इच्छुक छात्र/छात्रायें जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा उन्हें व्याख्यान देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक 20.02.2020 में लिये गये निर्णयानुसार ऐसे छात्रों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा "English Spoken Language" नाम से एक ब्रिज कोर्स चलाया जाने हेतु मा० प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद सं०	24	<p>कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय से सह-प्राध्यापक/समकक्षीय एवं सह-प्राध्यापक/समकक्षीय से प्राध्यापक/समकक्षीय पदनाम दिये जाने हेतु वर्ष 2019 में सम्पन्न हुए साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों के बन्द लिफाफो को खोले जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-547/67-कृशिअ-20-1500(03)/16 दिनांक 12.06.2020 के क्रम में विचारार्थ प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अध्याय-13 के (4d) की व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत कार्मिको को ही यू०जी०सी० व्यवस्था के अन्तर्गत कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ दिया जाय। उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</p>
मद सं०	25	<p>डा० हरेश प्रताप सिंह, सह-निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय का चयन सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज (इलाहाबाद) पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा सावधि पद (Tenure Post) की अवधि तक धारणाधिकार स्वीकृत किया। उक्त अवधि (Tenure Post) की समाप्ति के उपरान्त धारणाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।</p>
मद सं०	26	<p>विभागाध्यक्ष, कृषि व्यवसाय प्रबन्ध विभाग द्वारा विभाग में Online Certificate course "International Agricultural Trade Management" प्रारम्भ किये जाने हेतु मा० प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>






मद सं०	27	<p>पादप रोग विज्ञान विभाग ने Certificate Course on "Mushroom Cultivation" Mushroom Research and Development Centre प्रारम्भ किये जाने हेतु मा० प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
मद सं०	28	<p>कृषि ज्ञान प्रबन्धन इकाई (एकेएमयू) के अधीन विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों एवं हास्टलों में Internet Connectivity/LAN/Networking/Printer/Scanner/ Computer आदि के रखरखाव तथा उससे सम्बन्धित उपकरणों के मरम्मत किये जाने हेतु संविदा/आउट सोर्सिंग पर रू० 20,000.00 प्रतिमाह पर तकनीकी रूप से दक्ष कम्प्यूटर सर्विस इंजीनियर को रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुये श्रम विभाग के निर्देशों के अनुसार जैम के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
मद सं०	29	<p>के०जी०के० समाप्तोपरान्त के०वी०के० में समायोजित समन्वयकों/वैज्ञानिकों को नियुक्ति के दिनांक से अनुमन्य कराये गये यू०जी०सी० वेतनमान के सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।</p>
मद सं०	30	<p>कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के मध्य हस्ताक्षरित MOU के अनुपालन तथा विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिकों की भौति के०वी०के० को भी सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ भी अनुमन्य विषयक।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।</p>
मद सं०	31	<p>विश्वविद्यालय के मानव चिकित्सालय में डा० एस०के० सिंह, चिकित्सीय परामर्शदाता को नियत वेतन रू० 35,000.00 प्रतिमाह में संविदा पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>

E . L




मद सं०	32	<p>प्रबन्ध मण्डल के मा० सदस्य श्री सत्य नारायण शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव। विषय:- माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अपने कार्यालय आदेश सं० E-3801/GS, दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-23 क अन्तर्गत परित आदेश के अनुपालन में मा० प्रबन्ध मण्डल की न्यायिक प्रतिष्ठा में न्याय प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण में मा० कुलपति महोदय समिति बनाकर जाँच करायेँ और जाँच रिपोर्ट से मा० प्रबन्ध मण्डल के सदस्य को भी अवगत कराया जाय।</p>
	33	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।
पूरक प्रस्ताव	1	<p>डा० अशोक कुमार सिंह, सह निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय द्वारा ICAR की सेवा में समावेशित होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में पारित पद से दिनांक 24.07.2010 से प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि त्याग पत्र की मूल प्रति प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।</p>
पूरक प्रस्ताव	2	<p>डा० एस०के बिश्वास नोडल अधिकारी, मशरूम शोध एवं विकास केन्द्र, पादप रोग विज्ञान विभाग द्वारा मशरूम शोध एवं विकास केन्द्र के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु आवश्यक सामग्री जैसे मशरूम स्थान, मशरूम प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य दरों के संशोधन किये जाने हेतु मा० प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उद्यान विभाग से भी दरे प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।</p>
पूरक प्रस्ताव	3	<p>विश्वविद्यालय में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत अन्य बैंकों जैसे एच०डी०एफ०सी० बैंक से विश्वविद्यालय के खातों का व्यवसायिक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव के कम में यथा आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय कृत बैंकों से सुविधाये प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>


E. ✓

<p>पूरक प्रस्ताव</p>	<p>4</p>	<p>विश्वविद्यालय में कार्यरत शोध सहायकों/समकक्षीय से सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय पद का वेतनमान अनुमन्य कराये गये घोषित शिक्षकों को सह-प्राध्यापक पदनाम अनुमन्य कराये जाने पर विचरार्थ प्रस्तुत।</p> <p>मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासन के निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
----------------------	----------	--

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सघन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

अनुमोदित

  
(डी0आर0 सिंह)  
कुलपति एवं अध्यक्ष  
वित्त उप समिति

  
{राजेश सिंह}  
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव  
वित्त उप समिति